DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2022 PERS------------------------------------DATED--------------------

वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अधिसूचना को दी चुनौती

नई दिल्ली : दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों को देने से संबंधित केंद्र सरकार की पांच मार्च 2014 की अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 अप्रैल 2023 तक के लिए स्थगित कर दी। अधिवक्ता नुपुर सिंघल के माध्यम से याचिका दायर कर सिमरन गुप्ता ने कहा कि उक्त संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ बोर्ड को दिया गया है। बोर्ड को दी गई संपत्तियों में से 62 संपत्तियां डीडीए की हैं। केंद्र की अधिसूचना के बाद दिल्ली सरकार ने भी 18 जनवरी 2018 में संपत्तियों को बोर्ड को दे दिया। (जासं)